मदरसे की समितियों के पंजीयन संबंधी नियमावली

समिति की परिभाषा– " ऐसे व्यक्तियों का समूह जिसका संगठन किसी एक हित या अनेक सामान्य हितों की पूर्ति के लिए किया जाता है।" उसे समिति कहते है। इसी क्रम में मदरसे को स्थापित करने एवं संचालन करने के आश्य से व्यक्तियों का वह समूह जो मदरसे को परिभाषा में एवं नियमानुसार संचालित करने हेतु प्रतिबद्ध होय मदरसा प्रबंध समिति कहलाएगी।

मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड अधिनियम क्रमांक 31 सन् 1998 की धारा 8 की उपधारा 2–घ में वर्णित शक्तियों के अंतर्गत बोर्ड में मदरसा प्रबंध समिति के पंजीयन से पूर्व इस नियमावली को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं इसके अनुसार कार्यवाही करें।

1) **सदस्यता -** मुहल्ला, ग्रामीण या मदरसा के आस-पास की बस्ती के रहवासी इसके सदस्य हो सकते है।

2) **सदस्यों की योग्यताएँ-** समिति का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है-

(2.1) आयु 18 वर्ष से कम न हो,

(2.2) भारतीय नागरिक हो,

(2.3) समिति के नियमों का पालन करने की प्रतिज्ञा की हो,

(2.4) पागल न हो या अन्य प्रकार से अयोग्य न हो, सदचरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो।

3) **सदस्यता का समाप्ति-** समिति की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जायेगी-

(3.1) मृत्यु हो जाने पर,

(3.2) पागल हो जाने पर,

(3.3) समिति के कोष में गबन करने पर समिति पदाधिकारियों द्वारा 3/5 सदस्यों के बहुमत से निकाल दिये जाने पर,

(3.4) त्याग-पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर। उक्त में से किसी भी प्रकार से सदस्यता समाप्त होने पर सदस्यता समाप्ति की सूचना तथा उसके स्थान पर नए सदस्य की नियुक्ति समिति के 2/3 बहुमत से करने के बाद इसकी सूचना तत्काल कार्यालस मदरसा बोर्ड, भोपाल को अनिवार्यतः उपलब्ध करायें।

4) **मदरसा समिति के कार्य संचालन हेतु निम्नांकित समितियों का निर्माण करना होगा-**

4.1 **साधारण सभा-** मदरसा भवन के आस पास के गणमान्य नागरिक, क्षेत्रीय पार्षद/पंच/सरपंच,निकटतम शासकीय शाला प्राचार्य/हेडमास्टर इसके सदस्य होंगे। इनका समिति के रजिस्टर में नाम दर्ज किया जाएगा। साल भर में एक बार या जब क्षेत्र के लोग चाहें साधारण सभा की बैठक होगी जिसमें लिये गए निर्णय सर्वमान्य होंगे।

4.2 **प्रबंधकारिणी सभा-**मदरसा समिति की बैठक प्रत्येक माह अयोजित होगी, बैठक में कोरम 1/3 सदस्यों का होग।

5) **साधारण सभा के अधिकारव कर्तव्य–** संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण एवं प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना, संस्था की स्थाई निधि व संपत्ति की ठीक व्यवस्था करना, आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना एवं अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हों, संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय-व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना, बजट अनुमोदन करना।

6) **मदरसा प्रबंध समिति का गठन-** समिति की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिए जो भी वह उचित समझे, सम्मानीय सदस्य बना सकती है। ऐसे सदस्य साधारण सभा में भाग ले सकते है परंतु उनको मत देने का अधिकार नही होगा। साधारण सभा के बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन 2/3 बहुमत से होगा- (1)अध्यक्ष........(2)उपाध्यक्ष.......(3)सचिव............(4)कोषाध्यक्ष..........(5) संयुक्त सचिव एवं सदस्य.............. ।

7) **मदरसा प्रबंध समिति के अधिकार व कर्तव्य-**

(7.1) मदरसे के संचालन के लिए समिति का गठन हुआ है, मदरसे का नियमानुसार संचालन हेतु व्यवस्था करना।

(7.2) पिछले वर्ष का आय-व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

(7.3) मदरसा समिति के अधीन संचालित मदरसा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को नियुक्त करना एवं उनके वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना। मदरसे की चल-अचल संपत्ति पर लगने वाले कर आदि का नियमानुसार भुगतान करना। अन्य आवश्यक कार्य करना जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर सौंपे जाये।

निरंतर..........2

(7.4) मदरसा की समस्त चल-अचल संपत्ति मदरसा प्रबंध समिति के नाम से रहेगी। मदरसे द्वाराकोई भी स्थावर संपत्ति म.प्र. मदरसा बोर्ड की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय, दान द्वारा या अन्य प्रकार से अर्जित या अन्तरित नही की जायेगी।

(7.5) मदरसा समिति के विधान में किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रस्ताव साधारण सभा की विशेष बैठक आयोजित कर उसमें 2/3 मत से प्रस्ताव पारित होने के उपरांत मदरसा बोर्ड के अनुमोदन के लिए विधिवत भेजा जावेगा।

(7.6) मदरसा प्रबंध समिति का यह कर्तव्य होगा की वह मदरसे एवं समिति का समय पर नवीनीकरण कराकर बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त करें।

8) **अध्यक्ष के अधिकार-** अध्यक्ष साधारण सभा तथा मदरसा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठको की अध्यक्षता करेंगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा।

9) **सचिव के अधिकार-** समय-समय पर बैठक आयोजित कर प्रस्ताव प्रस्तुत करना, आय-व्यय का लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तैयार कर साधारण सभा के समक्ष प्रस्तुत करना एवं अनुमोदन प्राप्त करना, मदरसे के समस्त अभिलेख तैयार कर सुरक्षित रखना। समस्त बैठकों की कार्यवाहियों को सुरक्षित रखना।

10) **कोषाध्यक्ष के अधिकार-** समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।

11) **बैक खाता -** मदरसे की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैक में जमा रहेगी। धन का आहरण अध्यक्ष, सचिव या कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा।

12) **विवाद-** मदरसे में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि अध्यक्ष का निर्णय संतोषजनक नही होता है तो निर्णय से आहत पक्ष कार्यालय, म.प्र. मदरसा बोर्ड की ओर विवाद के निर्णय के लिए भेज सकता है। म.प्र. मदरसा बोर्ड का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।

13) **मदरसा प्रबंध समिति का कार्यकाल-** मदरसा समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी समिति उस समय तक जब तक कि नई समिति का गठन नियमानुसार या अन्य कारणों से नही हो जाता कार्य करती रहेगी, किन्तु इसकी विस्तारित अवधि 6 माह से अधिक नही होगी एवं इसके लिए साधारण सभा से अनुमोदन कराना अनिवार्य होगा।

14) **मदरसा समिति के उद्देश्यः**

14.1 मदरसें का नियमानुसार संचालन कर अल्पसंख्यक समुदाय के बालक/बालिकाओं में धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा एवं शिक्षा से संबंधित गतिविधियों को संचालित करना।

14.2 केंद्र एवं राज्य सरकार की स्कीमों का मदरसों मे क्रियान्वयन करना एवं शासन की समस्त सुविधाओं का लाभ अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को दिलाना ।

14.3 बालक/बालिकाओं के लिये आवासीय मदरसों का निमार्ण करना एवं व्यवस्था करना।

14.4 बालक/बालिकाओं को रोज़गार से जुडी हुई शिक्षा देना, प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करना।

14.5 नैतिक चरित्र एवं शारीरिक उन्नति हेतु वाचनालय, पुस्तकालय निर्माण, प्रयोग शाला कम्प्यूटर लेब,प्राथमिक स्वास्थ्य,शिक्षा,खेलकूद सामग्री एवं मैदान, साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु हाल इत्यादि की व्यवस्था करना तथा मदरसा छात्रों व मदरसे का सर्वागीण विकास सुनिश्चित करना।

14.6 अन्य (यदि रखना चाहें) ....।

15) **बीच अवधि मे समिति भंग होना-** यदि समिति बीच अवधि में किन्ही कारणों से भंग होती है तो ऐसी स्थिति में मदरसा प्रधान साधारण सभा के अनुमोदन से कार्यकारी समिति गठित करायेंगे जिसकी अवधि समिति के वास्तविक कार्यकाल से अधिक नही होगी। इसकी सूचना साधारण सभा की सम्पूर्ण कार्यवाही विवरण सहित अविलम्ब म.प्र. मदरसा बोर्ड को लिखित में प्रेषित करेंगे। तत्पश्चात बोर्ड इस पर निर्णय ले सकेगा।

नोट:- इस नियमावली को गठित समिति के समस्त पदाधिकारियों को पढाकर अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष सील सहित हस्ताक्षर करें एवं हस्ताक्षरित प्रति कार्यालय, म.प्र. मदरसा बोर्ड में समिति पंजीयन/ समिति नवीनीकरण के ऑनलाईन आवेदन के साथ जमा करना सुनिश्चित करे

अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष
हस्ताक्षर सील सहित	हस्ताक्षर सील सहित	हस्ताक्षर सील सहित

समिति पंजीयन कराने हेतु प्रोफार्मा जिसे भरकर सील एवं हस्ताक्षर उपरांत अपलोड कराना है एवं बोर्ड में कम्प्यूटर पावती के साथ भेजना है।

प्रबंध समिति का विवरणः

1. मदरसे का नाम.. पता..
2. मदरसा समिति का नाम .... पता..
3. समिति अध्यक्ष का नाम ....
4. फोन/मोबाईल नं. ....ईमेल आई डी ....

नोटः- समिति का प्रत्येक पदाधिकारी/सदस्य (1) आयु 18 वर्ष से कम न हो (2) भारतीय नागरिक हो (3) समिति के नियमो का पालन करने की प्रतिज्ञा की हो (4) पागल न हो (अच्छे चरित्र का हो तथा किसी भी नशे का आदि न हो।

स.क्र	सदस्य का नाम	पिता/ पति का नाम	पद	पता	व्यवसाय	शैक्षणिक योग्यता	मोबाईल	हस्ताक्षर
1			**अध्यक्ष**					
2			**उपाध्यक्ष**					
3			**सचिव**					
4			**कोषाध्यक्ष**					
5			**सदस्य**					
6			**सदस्य**					
7			**सदस्य**					

हस्ताक्षर सील सहित
अध्यक्ष

हस्ताक्षर सील सहित
सचिव

हस्ताक्षर सील सहित
कोषाध्यक्ष